पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का सिविल विविध क्षेत्राधिकार सं.1131

==

सीमा देवी उर्फ सीमा कुमारी पिता जवाहर सिंह निवासी मधरपुर, बिचला टोला, डाकघर एवं थाना- तेघड़ा, जिला-बेगूसराय

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

मनोरंजन सिंह पिता बाल्मीकि सिंह निवासी ग्राम- बरहिया,थाना- बरहिया, टोला रामचरण, वार्ड संख्या 08, जिला- लखीसराय

... ... प्रतिवादी

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री जे.एस. अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री ओम प्रकाश महाराज, अधिवक्ता

==

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908---आदेश VIII, नियम 6ए से 6डी, आदेश VII नियम 1- हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955---धारा 23ए---धारा 10, 20, अध्याय IV---पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984—स्त्रीधन—पारिवारिक न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि —हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 23ए के अलावा कोई प्रतिदावा नहीं, केवल हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 से 13 के तहत राहत के लिए दायर किया गया।

आदेश: प्रतिदावा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश—आठवें नियम 6ए और आदेश-सातवीं, नियम 1 के तहत दायर किया जाना चाहिए—प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा कोई दुर्बलता या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं—याचिका खारिज—याचिकाकर्ता कानून का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र है सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष अपने अधिकार का दावा करें।

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक : 03-04-2024

याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बेगूसराय द्वारा विविध वाद संख्या 12/2018 में पारित दिनांक 29.06.2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत वैवाहिक वाद संख्या 18/2011/2015 में किए गए प्रतिदावे पर निर्णय लेने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर विविध वाद को खारिज कर दिया गया है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ वैवाहिक वाद संख्या 18/2011/2015 के तहत विद्वान जिला न्यायाधीश, मुंगेर/लखीसराय की अदालत में वैवाहिक वाद दायर किया था, जिसे बाद में बेगूसराय स्थित पारिवारिक न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता का स्त्रीधन गलत तरीके से अपने पास रख लिया है, तथा प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता का वह सामान और स्त्रीधन, जिसका वह हकदार है, उसे वापस किया जाए, इस प्रकार, लिखित बयान में कथित रूप से प्रतिवाद किया गया। तत्पश्चात, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, बेगूसराय ने दिनांक 16.04.2018 के आदेश द्वारा प्रतिवादी के वैवाहिक मामले को खारिज कर दिया। हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा दायर वैवाहिक मामले को खारिज करते समय याचिकाकर्ता के प्रति दावे पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता ने अपने प्रति दावे पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए विविध मामला संख्या 12/2018 दायर किया। उक्त विविध मामले को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बेगूसराय द्वारा दिनांक 29.06.2019 के आदेश द्वारा प्रवेश के चरण में खारिज कर दिया गया था।

03. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे.एस. अरोड़ा ने दलील दी कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) के आदेश 8 नियम 6ए से 6डी के प्रावधानों की पूरी तरह से गलत व्याख्या की है। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर अधिकारिता संबंधी त्रुटि की है कि वैवाहिक मामले संख्या 18/2011/2015 में लिखित बयान दाखिल करते समय, इस याचिकाकर्ता ने उस मामले के

प्रतिवादी के रूप में प्रतिवाद किया था और विद्वान न्यायालय ने गलत तरीके से माना है कि कोई प्रतिवाद नहीं था। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने इस कानून को न समझकर क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की है कि संहिता के आदेश VIII नियम 6ए और इसके अनुरूप प्रावधानों के तहत यदि कोई प्रतिवाद किया गया है, तो उसे उस मुकदमे के प्रतिवादी की शिकायत के रूप में माना जाना चाहिए और मुकदमे के रूप में निर्णय दिया जाना चाहिए। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने यह भी नहीं माना है कि मुकदमे को खारिज करने से उसी मुकदमे में किए गए प्रतिदावे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना है। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने दलीलों को गलत समझा और रिकॉर्ड पर एक त्रुटि की, जबकि यह माना कि वैवाहिक मामले का फैसला योग्यता के आधार पर किया गया है और इसमें कोई प्रतिवाद नहीं पाया गया और आगे यह माना कि प्रतिवाद के उद्देश्य से उक्त मुकदमा बहाल करने योग्य नहीं था और गलत तरीके से प्रवेश के चरण में ही विविध मामले को खारिज कर दिया।

श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि प्रति दावा करने के तीन तरीके हैं और किसी प्रति दावे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता या उस पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह उचित प्रारूप में नहीं किया गया था या अलग याचिका के रूप में दायर नहीं किया गया था। श्री अरोड़ा ने न्यायालय का ध्यान याचिकाकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान, विशेषकर पैराग्राफ संख्या 16 और राहत वाले हिस्से के अंतिम पैराग्राफ की ओर आकर्षित किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने विद्वान पारिवारिक न्यायालय से विशेष रूप से प्रार्थना की है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के माता-पिता द्वारा दिए गए सभी उपहार वापस करने का निर्देश दिया जाए। श्री अरोड़ा ने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे 'एचएमए' कहा जाएगा) की धारा 23ए में प्रावधान है कि तलाक या न्यायिक पृथक्करण या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए किसी भी कार्यवाही में, प्रतिवादी इस अधिनियम के तहत किसी भी राहत के लिए प्रति दावा कर सकता है, जिसके लिए वह हकदार होता। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिए अपने लिखित बयान में ही अपना प्रतिवाद करना पूरी तरह से कानूनी था और इस तरह कोई रोक नहीं है। श्री अरोड़ा ने ***अनिल कुमार बनाम सुनील कुमार और अन्य*** के मामले में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ-21 पर भरोसा किया, ***2023 एससीसी ऑनलाइन केर 8218*** में रिपोर्ट की गई इस बात पर जोर देने के लिए कि प्रतिवाद के प्रारूप और सामग्री के संबंध में कोई भी चूक एक सुधार योग्य दोष है और न्याय के हित में इसे दूर करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, एचएमए की धारा 23ए में जवाबी दावा दायर करने के लिए कोई विशेष प्रारूप नहीं दिया गया है और पारिवारिक

न्यायालय अधिनियम, 1984 (संक्षेप में 'एफसी अधिनियम') की धारा 20 के तहत, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के प्रावधानों का अन्य सभी वैधानिक प्रावधानों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि एफसी अधिनियम एचएमए के तहत कार्यवाही को नियंत्रित करता है।

04. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और आरोपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से कानूनी आदेश है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि प्रतिवाद को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था, ताकि विद्वान पारिवारिक न्यायालय इस पर निर्णय ले सके। इस पहलू पर, विद्वान वकील ने ***निताबेन दिनेश पटेल बनाम दिनेश दहियाभाई पटेल*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो ***(2021) 20 एससीसी 210*** में रिपोर्ट किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिदावा संहिता के आदेश VIII नियम 6बी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि प्रतिदावा अनिवार्य रूप से संहिता के आदेश VII के तहत वादपत्र के रूप में दायर किया जाएगा। इस प्रकार, प्रतिवाद में संहिता के आदेश VII नियम 1 के तहत वादपत्र में अपेक्षित सभी विवरण शामिल होने चाहिए। इस संबंध में, विद्वान वकील ने ***अनिल कुमार बनाम सुनील कुमार और अन्य*** के मामले में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसे ***2023 एससीसी ऑनलाइन केर 8218*** में रिपोर्ट किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा सभी विवरण देते हुए प्रतिवाद दायर नहीं किया गया है, इसलिए विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने सही रूप से माना है कि याचिकाकर्ता का विविध मामला स्वीकार्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा ***रमणी अम्मल बनाम सुशीलामल*** मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जो ***एआईआर 1991 मद्रास 163*** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें विधि के इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी कि ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादी के प्रति दावे के बारे में नोटिंग करनी चाहिए और इसे केवल दलील के रूप में मानना और मुद्दा बनाना तथा प्रति दावे के रूप में न मानना पर्याप्त नहीं होगा। यदि प्रतिवादी के तर्क को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रतिवाद के रूप में नहीं माना जाता तो मामला समाप्त हो जाता।

05. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वंदी प्रस्तुतिकरण पर गहन विचार किया है। वर्तमान मामले में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी-पत्नी द्वारा लिखित कथन में विवाह के समय दिए गए उपहारों को याचिकाकर्ता-पति को वापस करने के संबंध में किए गए

किसी भी दावे को प्रति दावे के रूप में माना जा सकता है। संहिता के आदेश VIII नियम 6A के तहत प्रतिदावा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:-

*"**6ए. प्रतिवादी द्वारा प्रति-दावा.**--(1) किसी मुकदमे में प्रतिवादी, नियम 6 के अधीन मुजरा प्रस्तुत करने के अपने अधिकार के अतिरिक्त, वादी के दावे के विरुद्ध प्रति-दावे के रूप में, प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध वाद के कारण के संबंध में कोई अधिकार या दावा प्रस्तुत कर सकता है, जो मुकदमा दायर करने से पहले या उसके बाद, लेकिन प्रतिवादी द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने से पहले या प्रस्तुत करने के लिए सीमित समय से पहले हो। उसका बचाव समाप्त हो गया है, चाहे ऐसा प्रतिदावा क्षति के लिए दावे की प्रकृति का हो या नहीं:*

बशर्ते कि ऐसा प्रतिदावा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रतिदावे का प्रभाव क्रॉस-सूट के समान होगा, ताकि न्यायालय मूल दावे और प्रतिदावे दोनों पर एक ही वाद में अंतिम निर्णय सुना सके।

(3) वादी को प्रतिवादी के प्रतिदावे के उत्तर में न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लिखित कथन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

(4) प्रति-दावे को वाद-पत्र माना जाएगा और वाद-पत्रों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।"

06. इस प्रकार, प्रतिवादी वादी के विरुद्ध प्रतिवादी को प्राप्त होने वाले कार्यवाही के कारण के संबंध में अपने अधिकार या दावे के संबंध में वादी के दावे के विरुद्ध प्रतिवाद प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह के प्रतिवाद को क्रॉस सूट माना जाएगा और वादी को न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिवादी के ऐसे प्रतिवाद के उत्तर में लिखित बयान दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही, यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिदावे को वादपत्र के रूप में माना जाएगा और वादपत्रों पर लागू नियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

07. संहिता का आदेश VII नियम 1 शिकायत के प्रारूप और विषय-वस्तु से संबंधित है, जो इस प्रकार है:-

*"**1. वादपत्र में शामिल किए जाने वाले विवरण.-** वादपत्र में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:—*

(क) उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है;

(ख) वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान;

(ग) प्रतिवादी का नाम, विवरण और निवास स्थान, जहां तक पता लगाया जा सके;

(घ) जहां वादी या प्रतिवादी नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग का व्यक्ति है, उस आशय का एक बयान;

(ड.) कार्रवाई का कारण बनने वाले तथ्य और यह कब उत्पन्न हुआ;

(च) तथ्य जो दर्शाते हैं कि न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है;

(छ) वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है;

(ज) जहां वादी ने अपने दावे का एक भाग सेट-ऑफ कर दिया है या त्याग दिया है, वहां इस प्रकार दी गई या त्यागी गई राशि; और

(झ) अधिकार क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए मुकदमे की विषय-वस्तु के मूल्य का विवरण और न्यायालय शुल्क, जहां तक मामला स्वीकार करता है।"

संहिता के आदेश-VIII नियम 6A और आदेश VII नियम 1 के संयुक्त वाचन से यह स्पष्ट है कि प्रतिदावे में संहिता के आदेश-VII नियम 1 में दिए गए विवरण शामिल होने चाहिए।

08. एफ.सी. अधिनियम का अध्याय-III पारिवारिक न्यायालय के 'अधिकार क्षेत्र' से संबंधित है और एफ.सी. अधिनियम की धारा इस प्रकार है:-

*"7. **अधिकारिता**.—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिवार न्यायालय—*

(क) स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा किसी भी कानून के तहत प्रयोग किए जा सकने वाले सभी अधिकार क्षेत्र को रखेगा और उसका प्रयोग करेगा; और

(ख) ऐसे कानून के तहत ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र के लिए ऐसा अधीनस्थ सिविल न्यायालय माना जाएगा, जिस क्षेत्र में परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विस्तारित होता है।

***स्पष्टीकरण**.- इस उपधारा में निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियाँ निम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियाँ हैं, अर्थात्:—*

(क) विवाह के पक्षकारों के बीच विवाह की शून्यता (विवाह को शून्य और अमान्य घोषित करना या, जैसा भी मामला हो, विवाह को रद्द करना) या

वैवाहिक अधिकारों की बहाली या न्यायिक अलगाव या विवाह के विघटन के लिए मुकदमा या कार्यवाही;

(ख) विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा के लिए वाद या कार्यवाही;

(ग) विवाह के पक्षकारों के बीच पक्षकारों या उनमें से किसी की संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा या कार्यवाही;

(घ) वैवाहिक संबंध से उत्पन्न परिस्थितियों में आदेश या निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा या कार्यवाही;

(ङ.) किसी व्यक्ति की वैधता के बारे में घोषणा के लिए वाद या कार्यवाही;

(च) भरण-पोषण के लिए वाद या कार्यवाही;

(छ) किसी व्यक्ति की संरक्षकता या किसी नाबालिग की हिरासत या उस तक पहुंच के संबंध में कोई मुकदमा या कार्यवाही

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, पारिवारिक न्यायालय के पास यह अधिकार भी होगा कि वह निम्नलिखित कार्य करेगा-

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX (पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित) के अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता; तथा

(ख) ऐसा अन्य अधिकार क्षेत्र जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा उसे प्रदान किया जा सकता है।"

स्पष्टीकरण (सी) वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक है क्योंकि प्रतिवादी-पत्नी ने याचिकाकर्ता-पति से उन उपहारों को वापस करने की प्रार्थना की है जो उसे विवाह के समय दिए गए थे।

09. एफसी अधिनियम की धारा 20 इस अधिनियम के प्रावधानों को अन्य वैधानिक प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव देती है जो एफसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।

10. पारिवारिक न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के अध्याय IV में किया गया है तथा पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित प्रावधान है:-

*"**10. सामान्यतः प्रक्रिया.**-(1) इस अधिनियम और नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908*

(1908 का 5) और उस समय लागू किसी अन्य कानून के उपबंध पारिवारिक न्यायालय के समक्ष [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन कार्यवाही को छोड़कर] वादों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए पारिवारिक न्यायालय को सिविल न्यायालय माना जाएगा और उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(2) इस अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत कार्यवाही पर लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में कोई भी बात पारिवारिक न्यायालय को वाद या कार्यवाही की विषय-वस्तु के संबंध में समझौता करने अथवा एक पक्ष द्वारा आरोपित और दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने से नहीं रोकेगी।

उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जब तक असंगत न हों, संहिता के प्रावधान पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा अन्य मुकदमों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

11. अब, पक्षकार पारिवारिक न्यायालय के समक्ष थे और वे एचएमए और एफसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामले को आगे बढ़ा रहे थे। एचएमए की धारा 23 ए इस प्रकार है:-

"***23 ए. तलाक और अन्य कार्यवाही में प्रतिवादी के लिए राहत-*** *तलाक या न्यायिक पृथक्करण या वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए किसी भी कार्यवाही में, प्रतिवादी न केवल याचिकाकर्ता के व्यभिचार, क्रूरता या परित्याग के आधार पर मांगी गई राहत का विरोध कर सकता है, बल्कि उस आधार पर इस अधिनियम के तहत किसी भी राहत के लिए प्रति-दावा भी कर सकता है; और यदि याचिकाकर्ता का व्यभिचार, क्रूरता या परित्याग साबित हो जाता है, तो अदालत प्रतिवादी को इस अधिनियम के तहत कोई*

भी राहत दे सकती है, जिसके लिए वह हकदार होता अगर उसने उस आधार पर ऐसी राहत की मांग करने वाली याचिका पेश की होती।"

उपर्युक्त प्रावधान प्रतिवादी को न केवल याचिकाकर्ता के व्यभिचार, क्रूरता या परित्याग के आधार पर मांगी गई राहत का विरोध करने का अधिकार देता है, बल्कि उस आधार पर इस अधिनियम के तहत किसी भी राहत के लिए प्रति-दावा भी कर सकता है। साथ ही, यदि याचिकाकर्ता का व्यभिचार, क्रूरता या परित्याग सिद्ध हो जाता है, तो न्यायालय प्रतिवादी को इस अधिनियम के तहत कोई भी राहत प्रदान कर सकता है, जिसका वह हकदार होता यदि उसने उस आधार पर ऐसी राहत की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की होती।

12. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, पक्षों की स्वीकृत स्थिति इस प्रकार है:-

(i) इस मामले के प्रतिवादी ने इस मामले के याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने विवाह को समाप्त करने के लिए याचिका दायर की। प्रतिवादी-पत्नी/याचिकाकर्ता उपस्थित हुए और याचिकाकर्ता पति/प्रतिवादी के दावे को नकारते हुए अपना लिखित बयान दायर किया।

(ii) प्रतिवादी पत्नी ने आगे दावा किया कि याचिकाकर्ता-पति को 8,35,000/- रुपये मूल्य की उपहार वस्तुएँ दी गईं और अपने लिखित बयान के राहत भाग में, उसने उपहार वस्तुओं की वापसी का दावा किया।

13. एफसी अधिनियम में किसी भी प्रतिदावे के लिए प्रावधान नहीं है। हालांकि, एचएमए की धारा 23ए में ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान है। लेकिन, साथ ही, एचएमए प्रतिदावे में शामिल किए जाने वाले प्रारूप, विषय-वस्तु और विवरण के बारे में चुप है। चूंकि एचएमए और एफसी अधिनियम दोनों ही प्रति दावे के प्रारूप और विवरण पर मौन हैं, इसलिए हमें एफसी अधिनियम की धारा 10 का सहारा लेना होगा, जिसमें पारिवारिक न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है और उक्त प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इसलिए, कोड के आदेश VIII नियम 6A और आदेश-VII नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक न्यायालय के समक्ष भी प्रति दावा दायर किया जाना चाहिए और उससे कोई विचलन नहीं हो सकता है।

14. अब तक की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-पत्नी, याचिकाकर्ता द्वारा जो भी दावा किया जा रहा है, वह संहिता के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रारूप में नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि प्रक्रियात्मक कानून न्याय का दास है और इसका इस्तेमाल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे प्रावधान विधायिका द्वारा न्याय प्रशासन को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाए गए हैं और किसी भी कीमत पर किसी एक पक्ष को न्याय दिलाने के लिए नैतिकता की किसी धार्मिक धारणा पर बलिदान

नहीं किया जा सकता है, बिना यह सोचे कि क्या इससे दूसरे पक्ष के साथ अन्याय हो सकता है। विशेष प्रारूप प्रदान करना और उसकी विषय-वस्तु को निर्दिष्ट करना, लाभकारी प्रभाव डालता है। यदि प्रतिवादी प्रतिवाद दायर करता है, और यह संहिता के प्रावधानों के अनुसार है, तो वादी को प्रतिवाद के उत्तर में लिखित बयान दायर करने का भी अधिकार मिलता है। यदि श्री अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत यह दावा कि लिखित बयान में किया गया दावा प्रतिदावा माना जाए, तो यह वादी को लिखित बयान दाखिल करने के उसके अधिकार से वंचित करने के समान होगा। विधानमंडल का यह इरादा कभी नहीं हो सकता कि प्रतिवादी पत्नी/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए निवेदन को स्वीकार किए जाने पर दूसरे पक्ष को उचित रूप से अपना बचाव करने का अवसर न दिया जाए।

15. एक अन्य मुद्दा, जिस पर दोनों पक्षों में से किसी ने भी विचार नहीं किया है, वह यह है कि क्या उपहार वस्तुओं की वापसी का दावा एचएमए या एफसी अधिनियम के तहत किया जा सकता है।

16. विवाह के पक्षों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद को एफसी अधिनियम के तहत उठाया जा सकता है, लेकिन एफसी अधिनियम में प्रतिवाद दायर करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, एचएमए में एचएमए की धारा 23ए के तहत प्रतिवाद दायर करने का प्रावधान है। एचएमए की धारा 23ए के तहत प्रतिदावे के दायरे पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***निताबेन दिनेश पटेल*** (उपर्युक्त) के मामले में पैराग्राफ-43 में माना कि प्रतिदावे के माध्यम से केवल धारा 9 (वैवाहिक अधिकारों की बहाली); धारा 10 (न्यायिक अलगाव); धारा 11 और 12 (याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह की घोषणा शून्य) और धारा 13 (तलाक) के तहत राहत मांगी जा सकती है और/या दी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि उपरोक्त कार्यवाही के प्रतिवादी उपरोक्त राहत के लिए केवल प्रतिदावे के माध्यम से ही दावा कर सकते हैं।

यह प्राधिकरण यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि एचएमए के तहत उपहार लेखों की वापसी के संबंध में एचएमए की धारा 23 ए के तहत प्रतिवाद दायर नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, एफसी अधिनियम विवाह के पक्षों के बीच पार्टियों या उनमें से किसी एक की संपत्ति के संबंध में मुकदमों और कार्यवाही के संबंध में पारिवारिक न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। साथ ही, एफसी अधिनियम प्रति दावे के मुद्दे पर चुप है। एफसी अधिनियम और एचएमए के प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि एचएमए के तहत प्रति दावा केवल एचएमए की धारा 9, 10, 11, 12 और 13 के तहत राहत की मांग करते हुए दायर किया जा सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

17. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, मेरा यह विचार है कि एचएमए की धारा 23ए के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, उसके अलावा कोई भी प्रतिदावा एचएमए के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही में दायर नहीं किया जा सकता है और यह केवल एचएमए की धारा 9 से 13 के अंतर्गत राहत के संबंध में ही हो सकता है। इसके अलावा, मेरा यह भी मानना है कि प्रतिदावा संहिता के आदेश-VIII नियम 6ए और आदेश-VII नियम 1 के तहत निर्धारित तरीके से दायर किया जाना चाहिए और केवल लिखित बयान में दावा करना प्रतिदावा करने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं होगा। प्रतिदावा करने वाले व्यक्ति को प्रतिदावा उठाने के बारे में तथ्य निर्दिष्ट करना होगा और लिखित बयान में तथ्यों का दावा करने वाले कथनों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अतः मुझे विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बेगूसराय द्वारा विविध वाद संख्या 12/2018 में दिनांक 29.06.2019 को आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं लगता है और इसकी पुष्टि की जाती है।

18. तदनुसार, वर्तमान सिविल विविध याचिका किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

19. हालाँकि, याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि यदि उसे सलाह दी जाए तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष अपने अधिकार का दावा करने के लिए कानून का सहारा ले सकती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायाधीश)

आशीष/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।